



1262

क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या :1204...../NGT-177/OA-294/2023/2024

दिनांक 20/8/2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Compliance report in compliance to Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi Order dated 09.05.2024 in OA No-294/2023 Prasoon Pant & Anr. Versus State of U.P.-reg.

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above the status report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 09.05.2024 in OA No-294/2023 Prasoon Pant & Anr. Versus State of U.P. compliance report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: As above.

Yours Sincerely


(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.


Regional Officer

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 294 OF 2023

IN THE MATTER OF:

PRASOON PANT & ANR.

..... APPLICANTS

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL
BOARD & ORS.

.....RESPONDENTS

STATUS REPORT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED
09.05.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO.
294/2023 IN RE: PRASOON PANT & ANR. VERSUS U.P. POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS.

That this Hon'ble Tribunal vides its order dated 09.05.2024 has passed the following directions:

"....."

6. *Further Action Taken report by UPPCB and replies/responses by other respondents be filed within two months.*
7. *List for further consideration on 23.08.2024.*
8. *In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the Regional Officer, Ghaziabad physically on the next date of hearing to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly he is directed to remain present before this Tribunal on that date with the relevant record....."*

1- That this Hon'ble Tribunal has uploaded the Amended Memo of Parties in the present matter on 08.05.2024 wherein total Nos. of 146 units i.e. Restaurant/Eateries/Banquet Hall/Hotel (Respondents No-07 to 152) has been listed. Latest status report of 146 units is as below:-

A- 51 units are having valid consent to operate under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as well as Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and are complying. The detail of 51 units is annexed herewith as **Annexure-1** to this report.

B- 52 units are not having consent to operate and were also covered in O.A. No. 438 of 2018, In Re: Arti Versus CGWA & Ors., wherein the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 22.04.2024, passed in Special Leave Petition (Civil) Diary No(s).11257/2024, has stayed the implementation of the impugned order dated 17.10.2022, as corrected on 24.04.2023, passed by this Hon'ble Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in Original Application No.438 of 2018, shall remain stayed. The detail of 52 units is annexed herewith as

Annexure-2 to this report. The relevant portion of the said order is reproduced as below:

.....4. Meanwhile, implementation of the impugned order dated 17.10.2022, as corrected on 24.04.2023, passed by the National Green Tribunal, Principal Bench at New Delhi, in Original Application No.438 of 2018, shall remain stayed.

C- 03 units are lying permanently closed. The detail is annexed herewith as **Annexure-3** to this report.

D- 40 units are not having consent to operate under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as well as the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Out of such 40 units, show cause notice has been issued against the 25 units, contained as **Annexure-4** to this report, for closure under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 along with imposition of environmental compensations. Further, the closure order has also been issued against the rest 15 units, contained as **Annexure-5** to this report. The operation of such 15 units has been stopped by disconnection of the

electricity and sealing of their DG sets by the joint committee, constituted by the District Magistrate, Ghaziabad, contained as **Annexure-6** to this report. Documents regarding such action is annexed herewith as **Annexure-7** to this report.

2- That, Further in compliance to the order passed by the Hon'ble Tribunal, survey was conducted and 17 establishments are newly identified other than above. These units are having valid consent to operate and complying. Status is being annexed herewith as **Annexure-8** to this report.

3- That further it is most respectfully submitted that in Civil Appeal Diary No(s).25711/2023 (Arising out of impugned final judgment and order dated 01-02-2023 in RA No. 05/2023, 17-01-2023 in IA No. 339/2022 and 17-10-2022 in OA No. 438/2018 passed by the National Green Tribunal) M/s Hotel Rishabh and ors. versus Arti and ors the Hon'ble Supreme Court has passed the following directions:

.....8. *Pending further orders, there shall be a stay of the operation of the impugned orders dated 17 October 2022, 17 January 2023 and 1 February 2023 of the National Green Tribunal in OA 438 of 2018, IA 339 of 2022 in OA 438 of 2018 and Review Application No 5 of 2023, respectively.*

9. Tag with Civil Appeal No 2864 of 2022.

Conclusion/Observation

A survey is being continuously carried out by the Uttar Pradesh Pollution Control Board to Restaurants and Eateries, Hotels, Banquet Halls situated in unorganized sector and spread over in the city of Ghaziabad. Further, it is respectfully submitted that action is being taken against defaulter units under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as well as the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

The status report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being placed before this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench for perusal and kind consideration, please.



(VIKAS MISHRA)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

ANNEXURE-1

Sr. No.	Name and Address	Respondant No	Capacity	Status of CTO
1	Mahagun Metro Mall Gautam Palvi Road, Sector 3F, Vaishali, Ghaziabad, - 201001	7	Shopping Complex/Mall	Issued on 23.06.2022, Valid upto 31.12.2026
2	Surya Merchant Limited (Shoppriz Mall), Kaling Marg, Sector 5, Vaishali, Ghaziabad-201001	8	Shopping Complex/Mall	Issued on 20.08.2024 Valid upto 31.07.2025
3	Ansal Plaza Mall, Opposite Dabur Chowk, Vaishali, Ghaziabad Email: ahl@ansals.com	9	Shopping mall and Hotel	Issued on 26.12.2023, Valid upto 31.07.2027
4	Jaipuria Mall, Ahinsa Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad. E-mail: info@jaipuriaigroup.com	10	Shopping Complex/Mall	Issued on 06.04.2024 Valid upto 31.07.2028
5	EDM Mall, Plot No. 1, Kaushambi, Ghaziabad, UP - 201001, E-mail: info@eastdelhimall.com	12	Shopping Complex/Mall	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2026
6	Silver Spoons, C7, Vasundhara, Sector 18, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012	13	BANQUET HALL FOR 800 PERSONS WITH 8 ROOMS	Issued on 19.03.2021, Valid upto 31.07.2025
7	Golden Tulip, C-5, Sector 18, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012	14	Hotel-160 Rooms	Issued on 12.08.2023, Valid upto 31.07.2026
8	Vintage Banquets, CP-5, Sector 9, Vasundhara, 201012, Ghaziabad, UP, E-mail: info@vintagebanquets.com	15	BANQUET HALL FOR 400 PERSONS WITH FIVE ROOMS	Issued on 27.09.2023, Valid upto 31.07.2028
9	Galaxy Mall (MADHUVAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED GALAXY MULTIPLEX AND SHOPPING MALL), 64/5, Site-4 Sahibabad, Ghaziabad.	16	Multiplex and Commercial Complex	Issued on 14.09.2020, Valid upto 31.07.2025
10	Hotel Crystal Palace, Plot Number 2163, Sector 16A, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012	17	Hotel-16 Rooms	Issued on 29.04.2024 Valid upto 31.03.2025
11	Mukut Regency Hotel, CC-1, Sector 13, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012.	18	Hotel Cum Banquets HALL -31 ROOMS	Issued on 02.10.2022, Valid upto 31.03.2027
12	Hotel RK Residency, Plot no 2159, Opp Awas Vikas Complex Sector 16, Vasundhara, Ghaziabad 201012,	19	HOTEL CUM BANQUETS HALL22 ROOMS	Issued on 16.06.2023, Valid upto 31.07.2024
13	Eros Mall, 2nd Floor, Eros Market Place, Padmana Naidu Marg, Shakti Khand 2 (Opposite DPS), Indirapuram, Ghaziabad - 201014	20	Shopping mall	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2028

14	Clarks Inn, Plot No 41, Kaushambi, Ghaziabad 201010, E-mail: centralreservations@clarksinn.in	21	Hotel-26 Rooms	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2028
15	The Vaishali Inn, 339A, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad 201010	22	Hotel-20 Rooms	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2028
16	Banana Tree Hotel, Plot No. 14, 2, Plot Alpha, Sahibabad Industrial Area Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201010	23	Banquet Hall - 60 Rooms	Issued on 31.05.2023, Valid upto 31.07.2028
17	Hotel Sunshine Park, Chander Nagar, Near Anand Vihar Railway Terminal Ramprastha Colony, Block D. Surya Nagar Delhi, D-1, Dr Bhabha Marg, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201011	24	Hotel Cum Banquets Hall - 39 Rooms	Issued on 30.09.2023, Valid upto 31.07.2026
18	Hollywood Dreams Gaur Ganga 2, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad 201010,	25	BANQUET HALL (700-750 PERSONS) & ROOMS- 06	Issued on 01.04.2022, Valid upto 31.03.2025
19	Signature Global Mall, Sector 3, Vaishali, Ghaziabad – 201001 E-mail: info@signatureglobal.in	27	Commercial Mall	Issued on 28.07.2023, Valid upto 31.07.2028
20	OYO 11452 Golden Castle Lodge 11, KH No. 1/11, Indirapuram, Ne Khand I, Ghaziabad-201014	40	Lodge/Room-18	Issued on 14.05.2024, Valid upto 31.07.2025
21	OYO 1391 Hotel Pushpa Vilas, Plot No. 584, Near Pushpanjali Crosslay hospital, Sector 1, Vaishali, Ghaziabad-201010	42	Guest Room - 12	Issued on 16.06.2023, Valid upto 31.07.2024
22	West View Hotel, 106, Modeltown, G.T. Road, Near Navrang Cinema, Model Town, Ghaziabad-201001	54	HOTEL-13 ROOMS	Issued on 27.02.2024, Valid upto 31.03.2026
23	Rousha INN, D-81, Kaushambi, Near metro station, Kaushambi, Ghaziabad-201010	83	HOTEL-20 ROOMS	Issued on 16.10.2023, Valid upto 31.07.2028
24	Le Crescent, Plot no-14a, Mall road, Near DPS school, Old building, Ahinsa khand-2, Indirapuram, Opposite Cloud 9, Ghaziabad- 201 014	84	HOTEL-42 ROOMS	Issued on 30.09.2023 Valid upto 31.07.2028
25	Rajpath Residency, D-31, Kaushambi, EDM Mall road, Opposite Anand vihar rail Station, Ghaziabad-201001	85	HOTEL-21 ROOMS	Issued on 01.12.2023 Valid upto 31.03.2029
26	M/s Khatu Shyam Restaurant (Manpango Pizza), M-35, Pratap Vihar, Sector 12, Ghaziabad- 201009	86	Restaurant – 60 Seat	Issued on 30.03.2024 Valid upto 31.03.2026
27	Vanchu Hut, H-70, Ground Floor, Block-H, Shop No. 6 & 7, Pratap Vihar,	88	Restaurant – 32 Seat	Issued on 25.05.2024 Valid upto

	Sector-12, Ghaziabad- 201012			31.03.2028
28	Dr. Chef/Neha Sharma, MS-1, Sector-12, Pratap Vihar, Nagar Nigam Zone- II, Ghaziabad- 201001	89	Restaurant – 30 Seat	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.03.2025
29	M/s Saleem Chicken (New Name New Salam Chicken), Pari Sadakpur, Delhi Sahasapur Road, Loni, Ghaziabad-201102	93	Restaurant – 35 Seat	Issued on 14.08.2024 Valid upto 31.07.2024
30	M/s Rajendra Club, K.K. Enterprises (Bandhan Banquet), Gole Park, Sector-3, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad 201005	94	Banquet Hall- 200 person	Issued on 29.04.2024 Valid upto 31.07.2028
31	M/s Wah Ji Wah (MS Foods), Plot No. 05, Naveen Park, Sahibabad, Ghaziabad-201005	101	Restaurant – 40 Seat	Issued on 12.04.2024 Valid upto 31.03.2029
32	Sri Rohit Ahuja S/ Sri Vijay Ahuja M/s New Poul restaurant, 125- B/1A, Anand Industrial area, Mohan Nagar, Ghaziabad-201007	102	Restaurant – 110 Seat	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029
33	M/s Flock O Clock, Shop No. D27, Gaur Central Mall, Raj Nagar, Ghaziabad-201002	104	Restaurant – 40 Seat	Issued on 15.05.2024 Valid upto 31.03.2025
34	M/s Mahipal Yaduvanshi Restaurant, Near A Block, Shivpuri, Ghaziabad Nagar Nigam, Zone-9, Ghaziabad-201009	109	Restaurant – 45 Seat	Issued on 15.05.2024 Valid upto 31.03.2025
35	M/s Real Flavour UP (Dosa Factory) Plot No. 06, Main G.T. Road Sector-5, Rajendra Sahibabad, Ghaziabad-201005	112	Restaurant – 30 Seat	Issued on 03.05.2024 Valid upto 31.03.2028
36	M/s SKY garden café & Restaurant, Shubh aarambh foods and caterers, First floor, MS- 20 and ms-23, sector-12, Mirzapur, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad-201009	113	Restaurant – 28 Seat	Issued on 03.08.2024 Valid upto 31.03.2025
37	M/s S R Hotel Delhi Meerut Road Near Hanuman Mandir, Asalat Nagar, Muradnagar, Ghaziabad - 201006	114	HOTELS- 12 ROOMS, RESTAURANT AND PARTY HALL	Issued on 19.07.2024 Valid upto 31.0.2025
38	M/s Ahuja Vaishno Bhojnalaya, Mohan Nagar, Ghaziabad- 201007	115	Restaurant – 120 Seat	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029
39	M/s Food Work Shop, C-84, RDC Raj Nagar, Ghaziabad- 201002	118	Restaurant – 95 Seat	Issued on 15.05.2024 Valid upto 31.03.2029

40	M/s Urbon Punjab Foods Pvt. Ltd., Windsor Market, Shop No-29, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad-201014	119	Restaurant – 30 Seat	Issued on 31.05.2024 Valid upto 31.03.2029
41	M/s Angithi Dhaba (Shree Shyam Food), Arthla Mohan Nagar, Ghaziabad- 201007	120	Restaurant (Food and Beverages Item) – 60 Seats	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029
42	M/s Haridra Hospitality Swadesi Tandoor KIOSK No-1, Shop No-1,2, Windsor Street, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad- 201014	122	Restaurant – 35 Seat	Issued on 14.08.2024 Valid upto 31.07.2029
43	M/s Maa Ambey Foods, C-51, RDC, Rajnagar, Ghaziabad- 201002	125	Restaurant – 50 Seat	Issued on 24.05.2024 Valid upto 31.03.2029
44	M/s Anu Da Rendezvous, C-9697, RDC, Rajnagar, Ghaziabad - 201002	127	Hotel-16 Room with restaurant	Issued on 02.05.2024 Valid upto 31.03.2029
45	M/s Kamal Dhaba, Sector-16, Vasundhara, Ghaziabad- 201012	129	Restaurant – 50 Seat	Issued on 17.04.2024 Valid upto 31.03.2028
46	M/s Shree Rathnam, Near Kaushambi Metro Station, Kaushambhi, Ghaziabad- 201012	133	Restaurant – 45 Seat	Issued on 30.05.2024 Valid upto 31.03.2029
47	M/s Rosellia Suites & Benquet Hall, Plot No.-Cp-04, Sec-11, Vasundhara, Ghaziabad- 201012.	136	BANQUET HALL –CAPACITY-100 PERSON	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2028
48	M/s Elara Banquet Hall, INS-9, Sector-4, Vasundhara, Ghaziabad	138	BANQUET HALL –CAPACITY-200 PERSON	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029
49	M/s Ram Vatika Community Center, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004	143	Banquet Hall For 150 Persons with 4 Rooms	Issued on 25.06.2024 Valid upto 31.03.2026
50	M/s Green Valley, Khasra No. 372, Green Velly Farm House, Sikandarpur, Ghaziabad- 201004	149	Banquet Hall For 250 Persons with 4 Rooms	Issued on 24.05.2024 Valid upto 31.03.2025
51	M/s Friends Hospitality, 4th Floor, D-27, RDC Raj Nagar, Ghaziabad-201002	152	Restaurant – 30 Seat	Issued on 15.05.2024 Valid upto 31.03.2025

Sr. No.	Name and Address	Respondant No
1.	Hotel Frank INN, 13, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	28
2.	Hotel Parth INN, C-1, Govindpuram, Hapur Road, Ghaziabad-201013	29
3.	Hotel Samrat, Kaushambi 024 Kaushambi, Ghaziabad-212207	30
4.	OYO 12764 Grand INN, 4/353. Behind Rawal Pindi Jewellers Market Sector 4, Vaishali, Ghaziabad-201014	31
5.	Hotel 12807, Amaira Hotel and Banquets 1. Plot No. 1, Village Praladhgari, Vasundhra Ghaziabad-201012	32
6.	OYO 9301, Hotel Red Bury, Kalka Garhi Chowk, Ghaziabad-201001	33
7.	AT Residency, D-75, Kaushambi, Opp. Pacific Mal, Near Anand Vihar Metro Station, Ghaziabad-201010	34
8.	OYO 421, One Hotel, 653/1, Shakti Khand, 3rd, Nehar Road, Ghaziabad-201010	35
9.	OYO 13576, Hotel Residency, 7171 Gupta colony, GT Road, Near Ramte Ram Road, Ghaziabad-201001	36
10.	OYO 13758 XS. Residency E3Dr, Bhabha Marg, HIG Flats, Chander Nagar, Surya Nagar, Ghaziabad-201011	37
11.	OYO 10591 Hotel Parktel 583, Vijay laxmi Pandit Marg, Near Omaxe Plaza, Shakti Khand 2, Ghaziabad-201010	38
12.	OYO 11407 Hotel Royal King 171, 14D, 132, Ehsaan All, Bazaria, Ghaziabad-201001	39
13.	OYO 12833 Century Grand 6, Wazirabad Road, Near Bhopura Chowk Petrol Pump, Sahibabad, Ghaziabad-201005	41
14.	OYO 9178 Hotel New Central Park, Plot No. D-36, Kaushambi, Behind Kaushambi Metro Station, Ghaziabad- 201010	43
15.	OYO 947 Hotel Palazzo Di Lara, Plot No 11-12, Sector-3, Near gate No.1 of Mahagun Metro Mall, Vaishali, Ghaziabad-201010	44
16.	Hotel Taru INN 306-307, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	45
17.	Maiden Residency, 344/1, Pandav Nagar, Near Hospital Columbia Asia Ghaziabad-201002	46
18.	Hotel Minar, 12/13 Chhoti Bazaria, Railway Road, Ghaziabad-201001	47

19.	Hotel Grand, Tushar Chaudhary More, GT Road, Ghaziabad-201001	48
20.	Hotel Shri Drona, 160, Main NH-24, Khora Colony, Adarsh Nagar, Opposite Indirapuram, Ghaziabad-201014	49
21.	Hotel Raghav, N343-A, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	50
22.	Hotel Prithvi Palace, 2 E 221, Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad-201001	51
23.	Hotel Imperial, 171, Railway Road, Opp. Police Chowk, Bazaria, Ghaziabad-201001	52
24.	Hotel Parth Paradise, B-18, Surya Nagar, Opp. Vivek Vihar, Delhi NCR, Ghaziabad-201010	53
25.	Redbury Hotel, B3Ambedkar Road, Ghaziabad-201001	55
26.	Hotel Blue Stone, Plot No. 5, Sec-14, Near Seemant Vihar, Kaushambi, Ghaziabad-201010	56
27.	Hotel Tushar Elegant, KM-35, Kavi Nagar, Ghaziabad-201002	57
28.	Madhu Regency, 11-M-69, Nehru Nagar Society, Ambedkar Road, Ghaziabad-201001	58
29.	Hotel Supreme, 126.127 Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	59
30.	Hotel Shubham, City, 20, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	60
31.	Hotel Sharda Ghaziabad, 21 Old Munsfi Road, Navyug Market, Naya Ganj, Ghaziabad-201001	61
32.	Hotel Heaven, Near Truck Union, GT Road, Ghaziabad-201001	62
33.	Hotel Embassy, 166 Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	63
34.	Darshan Hotel, Plot No. 240, Adarsh Nagar, Khora Colony, Opposite Indirapuram, Ghaziabad-201014	64
35.	Bharat Guest House, 6-1, Surya Nagar, Near Raghunath Mandir, Ghaziabad-201011	65
36.	Hotel Marina, 162, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad-201001	66
37.	Hotel Aashiyana, 160 Rahmed Ali Compound Railway Road, Ghaziabad- 201001	67
38.	City Lodge, 198, Kallupura, Maliwara Chowk, Ghaziabad-201001	68
39.	Hotel Quizz @ railway station (1 Min Walking distance), 16 Railway Road, Bazaria, (Near Ghaziabad Railway Station) Ghaziabad-201001	69
40.	OYO 13602 Hotel The Town House B-21-22, RDC Rajnagar, Ghaziabad-201001	70

41.	Swiss Hotel, GT Road Near Opulent Mal; Ghaziabad-201001	71
42.	Ace Manor Hotel, 28/1/5-6. Sahibabad Industrial Area Site 4, Ghaziabad- 201010	72
43.	Hotel Elite, Ghanta Ghar, Railway Road, Plot N Ghaziabad-201001	73
44.	Yash Guest House Ghaziabad, R-115, Vakil Colony, Pratap Vihar, Ghaziabad-201	74
45.	Heritage inn Ghaziabad, D-2, Rampuri, Near Surya Nagar, (Near B Bloes Rampuri Park), Ghaziabad-201011	75
46.	BLACK STONE HOTEL, Plot No 378 Main Link Road, Vasundhara Sectori 16, Opposite Reliance Euro Park Ghaziabad-201012	76
47.	OYD 12123 Hotel Sweet Dreams, Nathan Highway 24, Lal Kuan Near Radha Krishna Public School, Lal Kuan, Ghaziabad-201009	77
48.	CITY HOTELS & BANQUETS, II M-68, Nehru Nagar, Opposite Nehru Yuva Kendra, Ambedkar Road,	78
49.	OYO 9750 Hotel Atithi, 156/157, Ahasan Ali Compound, Railway Road Bazaria, Ghaziabad-200101	79
50.	Aggarwal Lodge, Shop No-159 Ehsan Ali Compound Railway Road, Bazaria Ghaziabad-201001	80
51.	Hotel shiva, Khasra No.161, G.T. Road, Lal Kuan,	81
52.	Hotel Metro 1, A40, Block A, Lohia Nagar, Ghaziabad-201001	82

Sr. No.	Respondant No	Name and Address
1-	97	M/s Bella Vista (Treeza Gill), NS-1, Sector-12, Block-N, Pratap Vihar, Ghaziabad-201009
2-	98	M/s Laxmidarshan, 192/1, Prakash Industrial Estate Adjoining Raj Bagh, Rajendra Nagar, Sector-3, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-03, Ghaziabad-201001
3-	106	M/s Devi Dayal Food Private Limited, KB-75, Kavi Nagar Ghaziabad-201002

Sr. No.	Name and Address of Unit	Respondent No	Latest Action Taken
1.	Aditya Mall, Nyay Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad- 201010	11	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice with new name Aditya Mall Traders Association (Regd), BF-36, Aditya Mall Indirapuram, Ghaziabad (Old Name Aditya Mega City (Aggarwal Associates Promoters Ltd), CFH-03, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,85,31,250/-
2.	M/s Garam Dharam, Plot No-1, Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad- 201007	116	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,81,250/-
3.	M/s Hotel Grand Tushar, 178, bagh Bhtyari, Chudhary More, G.T. Road Near Railway Station, Ghaziabad- 201001	117	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,81,250/-
4.	M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No-22, Sector-03, Vausndhara, Ghaziabad - 201 012	121	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,57,812/-
5.	M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad- 201002	123	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,187/-
6.	M/s Sohan Foods, C-63, RDC, Rajnagar, Ghaziabad- 201002	124	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,187/-
7.	M/s Megatech Products Pvt. Ltd, D-3,4, and 5 Rajnagar, Ghaziabad. KF-7, Kavi Nagar, Ghaziabad-	126	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of

	201001		environmental compensation of Rs. 2,10,937/-
8.	M/s Handi Restourant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad- 201002	128	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevnction and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,34,360/-
9.	M/s Great Research Hosiptality Service & Hoikah Bar, Plot No-B-15, 3rd Floor, RDC Rajnagar, Ghaziabad- 201002	130	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevnction and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,73,420/-
10.	M/s Vizima Hospitality LLP, 62, Rajiv LIC Building, Khora Colony, Ghaziabad- 201003	131	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevnction and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,73,420/-
11.	M/s Walk In The Woods Pvt. Ltd., Gour Height, Shop No-12,13,14, GF and LGF-1, Sec-4, Vaishali, Ghaziabad- 201019	132	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevnction and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,96,856/-
12.	M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No-19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad- 201012	134	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevnction and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 1,71,864/-
13.	M/s Radha Govind Vatika party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad - 201012	135	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevnction and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 1,48,437/-
14.	M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No.-10-D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad- 201012	137	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevnction and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 1,71,864/-
15.	M/s Welcome Om Green Fous, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004	139	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevnction and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs.

			2,18,750/-
16.	M/s Raj Farms, Khasra No. 293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad-201004	140	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-
17.	M/s Royal farmhouse, Khasra No. 124/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad.	141	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-
18.	M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004.	142	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-
19.	M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad-201004.	144	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,18,750/-
20.	M/s Palki Farms, Khasra No317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad.-201004	145	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,18,750/-
21.	M/s Party Shine, Village Sikandarpur, Hindon civil,	146	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-
22.	M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur, Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad-201004	147	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,42,172/-
23.	M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad-201004.	148	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,18,750/-

24.	M/s Mahasja Shiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadarabad Modinagar, Ghaziabad-201204.	150	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,03,125/-
25.	M/s Spice Gardeen Restaurant & Benquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad - 201204	151	UPPCB vide letter dated 16.08.2024 issued Show cause notice under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with imposition of environmental compensation of Rs. 2,03,125/-



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 14 158/7 /C-1/वायु/जी-724/का0ब0नो0/2024

Date: ..1.6./18./24

सेवा में,

पंजीकृत/संशोधित पत्र

मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि0),
बी0एफ0-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद
(पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0),
सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम,
गाजियाबाद।
मो0 नं0-

यह कि मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि0), बी0एफ0-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद जो कि एक व्यवसायिक गतिविधियां, मल्टी फ्लैक्स, फूड कोर्ट एवं शापिंग माल से सम्बन्धित कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-290/2023 शुभम जाडिया बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.06.2023 को इकाई आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि0), बी0एफ0-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना इकाई को संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 29.08.2011 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु वैधता अवधि दिनांक 31.12.2012 तक प्राप्त थी। वर्तमान में परियोजना को सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 454/एन0जी0टी0-176/2023 दिनांक 17.06.2023 एवं पत्र संख्या 948/एन0जी0टी0-176/ओ0ए0 नं0-290/2023 दिनांक 06.09.2023 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर परियोजना द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है।

यह कि मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि0), बी0एफ0-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि0), बी0एफ0-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि0), बी0एफ0-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।

.....2/-

2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि0), बी0एफ0-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि0), बी0एफ0-36, आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी) (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गार्डललाईन के आधार पर दिनांक 05.10.2018 से दिनांक 04.10.2023 तक कुल 1826 डिफाल्टर दिवस हेतु रू0 2,85,31,250/- (रू0 दो करोड़ पिचासी लाख इकतीस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराते हुये आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- 11 15823 / सी0-1 / सा0-1580 / का0बा0नो0 / 2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Garam Dharam,
Plot No. 1 Arthla, Mohan Nagar,
Ghaziabad.

यह कि M/s Garam Dharam, Plot No. 1 Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86.."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 15.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Garam Dharam, Plot No. 1 Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2044/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 24.01.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Garam Dharam, Plot No. 1 Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s s Garam Dharam, Plot No. 1 Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s s Garam Dharam, Plot No. 1 Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s s Garam Dharam, Plot No. 1 Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Garam Dharam, Plot No. 1 Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812.50 प्रतिदिन की दर से कुल 36 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,81,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H15842 / सी०-1 / सा०-1882 / का०बा०नो० / 2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Hotel Grand Tushar,
178, Bagh Bhtyari, Choudhary More, G.T. Road,
Near Railway Station, Ghaziabad. (मो०नं०-7303594642)

यह कि M/s Hotel Grand Tushar, 178, Bagh Bhtyari, Choudhary More, G.T. Road, Near Railway Station, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 15.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Hotel Grand Tushar, 178, Bagh Bhtyari, Choudhary More, G.T. Road, Near Railway Station, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2050/सा०पत्रा०-23/2024 दिनांक 24.01.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आजतक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Hotel Grand Tushar, 178, Bagh Bhtyari, Choudhary More, G.T. Road, Near Railway Station, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Hotel Grand Tushar, 178, Bagh Bhtyari, Choudhary More, G.T. Road, Near Railway Station, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Hotel Grand Tushar, 178, Bagh Bhtyari, Choudhary More, G.T. Road, Near Railway Station, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Hotel Grand Tushar, 178, Bagh Bhtyari, Choudhary More, G.T. Road, Near Railway Station, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Hotel Grand Tushar, 178, Bagh Bhtyari, Choudhary More, G.T. Road, Near Railway Station, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812.50 प्रतिदिन की दर से कुल 36 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,81,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/5830/C-1/सा0-1620 / का0ब0नो0 / 2024

Date: 18/08/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace),
Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara,
Ghaziabad
Mob. No. 7291829105

यह कि M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 18.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2071/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 01.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Balaji Enterprises (Hotel Haveli Palace), Plot No.-22, Sector-03, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु 7,812.50/- प्रतिदिन की दर से कुल 33 दिन की डिफाल्ट अवधि में रु0 2,57,812/- (दो लाख सत्तावन हजार आठ सौ बारह मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)
01

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
01



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H 15822/सी0-1/सा0-1613/का0बा0नो0/2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar,
C-69, RDC, Rajnagar,
Ghaziabad.

यह कि M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 20.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2082/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 01.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812.50 प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,42,187/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



1290

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H 15833 / C-1 / सा0-1610 / का0ब0नो0 / 2024

Date: 16/08/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Sohan Foods,
C-63, RDC, Rajnagar,
Ghaziabad.
Mob. No.-8750018800

यह कि M/s Sohan Foods, C-63, RDC, Rajnagar, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 20.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Sohan Foods, C-63, RDC, Rajnagar, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2083/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 01.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Sohan Foods, C-63, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Sohan Foods, C-63, RDC, Rajnagar, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Sohan Foods, C-63, RDC, Rajnagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Sohan Foods, C-63, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Sohan Foods, C-63, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812.50/- प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,42,187/- (रू0 दो लाख बयालीस हजार एक सौ सतासी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक शाय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
o/c

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H/5824 / सी0-1 / सा0-1611 / का0बा0नो0 / 2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Megatech Products Pvt. Ltd.,
D-3-4 & 5, Rajnagar,
Ghaziabad.

यह कि M/s Megatech Products Pvt. Ltd., D-3-4 & 5, Rajnagar, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 24.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Megatech Products Pvt. Ltd., D-3-4 & 5, Rajnagar, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2093/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 01.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Megatech Products Pvt. Ltd., D-3-4 & 5, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Megatech Products Pvt. Ltd., D-3-4 & 5, Rajnagar, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Megatech Products Pvt. Ltd., D-3-4 & 5, Rajnagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Megatech Products Pvt. Ltd., D-3-4 & 5, Rajnagar, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Megatech Products Pvt. Ltd., D-3-4 & 5, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812.50 प्रतिदिन की दर से कुल 27 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,10,937/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक सय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H 15844/सी0-1/सा0-1883/का0बा0नो0/2024

दिनांक: 16/18/2024
Regd.

M/s Handi Restaurant,
R-1/77, RDC, Rajnagar,
Ghaziabad.(मो0नं0-7599075350)

यह कि M/s Handi Restaurant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 मून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को मून आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 85....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 24.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Handi Restaurant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2107/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 02.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आजतक आवेदन नहीं किया गया है।

-2-

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Handi Restaurant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Handi Restaurant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Handi Restaurant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Handi Restaurant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Handi Restaurant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 30 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,34,360/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- 14/15821 / सी0-1 / सा0-1629 / का0बा0नो0 / 2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Great Reserch Service & Hoikah Bar,
Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar,
Ghaziabad.

यह कि M/s Great Reserch Service & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made inconsequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 19.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Great Reserch Service & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2100/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 02.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।


उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Great Reserch Service & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Great Reserch Service & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Great Reserch Service & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Great Reserch Service & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Great Reserch Service & Hoikah Bar, Plot No. B-15, 3rd Floor, RDC, Rajnagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812 प्रतिदिन की दर से कुल 35 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,73,420/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।



(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
o/c

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/5828/C-1/सा0-1656/का0ब0नो0/2024

Date: 14/08/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Vizima Hospitality LLP,
62, Rajiv LIC Building, Khora Colony,
Ghaziabad
Mob. No. 9990295777

यह कि M/s Vizima Hospitality LLP, 62, Rajiv LIC Building, Khora Colony, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 19.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Vizima Hospitality LLP, 62, Rajiv LIC Building, Khora Colony, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2112/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 02.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

.....2/-

टी0सी0-12वीं, किमूते खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720784
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720784
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Vizima Hospitality LLP, 62, Rajiv LIC Building, Khora Colony, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Vizima Hospitality LLP, 62, Rajiv LIC Building, Khora Colony, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Vizima Hospitality LLP, 62, Rajiv LIC Building, Khora Colony, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Vizima Hospitality LLP, 62, Rajiv LIC Building, Khora Colony, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Vizima Hospitality LLP, 62, Rajiv LIC Building, Khora Colony, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 35 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,73,420/- (दो लाख तिहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H 15829 / सी0-1 / सा0-1647 / का0बा0नो0 / 2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Walk in the Woods Pvt. Ltd.
Gour Height Shop No. 12,13,14. GF and LGF-1,
Sector-4, Vaishali,
Ghaziabad.

यह कि M/s Walk in the Woods Pvt. Ltd, Gour Height Shop No. 12,13,14, GF and LGF-1, Sector-4, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 16.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Walk in the Woods Pvt. Ltd, Gour Height Shop No. 12,13,14, GF and LGF-1, Sector-4, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2144/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 02.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फ़ैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Walk in the Woods Pvt. Ltd, Gour Height Shop No. 12,13,14, GF and LGF-1, Sector-4, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Walk in the Woods Pvt. Ltd, Gour Height Shop No. 12,13,14, GF and LGF-1, Sector-4, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Walk in the Woods Pvt. Ltd, Gour Height Shop No. 12,13,14, GF and LGF-1, Sector-4, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Walk in the Woods Pvt. Ltd, Gour Height Shop No. 12,13,14, GF and LGF-1, Sector-4, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Walk in the Woods Pvt. Ltd, Gour Height Shop No. 12,13,14, GF and LGF-1, Sector-4, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 38 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,96,856/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- 115838/सी0-1/सा0-1644/का0बा0नो0/2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall,
Plot No. 19, Sector-3, Vasundhara,
Ghaziabad.

यह कि M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No. 19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

“.....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86.....”

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.....”

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 01.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No. 19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2138/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 02.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

-2-

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।


उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No. 19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No. 19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No. 19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No. 19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No. 19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 22 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 1,71,864/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



1304
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H15837/C-1/सा0-1590/का0ब0नो0/2024

Date: 16/12/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Radha Govind Vatika Party Lower,
Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara,
Ghaziabad.
Mob. No. 9536018115

यह कि M/s Radha Govind Vatika Party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Radha Govind Vatika Party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Radha Govind Vatika Party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Radha Govind Vatika Party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Radha Govind Vatika Party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Radha Govind Vatika Party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Radha Govind Vatika Party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 19 दिन की डिफाल्ट अवधि में रु0 1,48,437/-(रु0 एक लाख अड़तालीस हजार चार सौ सैंतीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H15839/सी0-1/सा0-1658/का0बा0नो0/2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Mangalam Banquet Hall,
Plot No. 10D, Sector-10, Vasundhara,
Ghaziabad.

यह कि M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No. 10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 01.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No. 10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2155/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No. 10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No. 10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No. 10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No. 10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Mangalam Banquet Hall, Plot No. 10D, Sector-10, Vasundhara, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812 प्रतिदिन की दर से कुल 22 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 1,71,864/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
olc

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
olc



1308

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/15836/C-1/सा0-1615/का0ब0न0/2024

Date: ...16/08/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Welcomes Om Green Farms,
Village-Sikandarpur, Opposite Hindon Airport,
Ghaziabad.
Mob. No. 9910834000

यह कि M/s Welcomes Om Green Farms, Village-Sikandarpur, Opposite Hindon Airport, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Welcomes Om Green Farms, Village-Sikandarpur, Opposite Hindon Airport, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 24.01.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Welcomes Om Green Farms, Village-Sikandarpur, Opposite Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Welcomes Om Green Farms, Village-Sikandarpur, Opposite Hindon Airport, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Welcomes Om Green Farms, Village-Sikandarpur, Opposite Hindon Airport, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Welcomes Om Green Farms, Village-Sikandarpur, Opposite Hindon Airport, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Welcomes Om Green Farms, Village-Sikandarpur, Opposite Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812.50/- प्रतिदिन की दर से कुल 28 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू 2,18,750/- (रू 20 लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H/5832 / सी0-1 / सा0-1643 / का0बा0नो0 / 2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Raj Farms,
Khasra No.293, Village-Sikandrpur,
Opp. Hindon Airport,
Ghaziabad.

यह कि M/s Raj Farms, Khasra No.293, Village-Sikandrpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Raj Farms, Khasra No.293, Village-Sikandrpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2161/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आजतक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/-

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अर्न्तगत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Raj Farms, Khasra No.293, Village-Sikandrpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Raj Farms, Khasra No.293, Village-Sikandrpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Raj Farms, Khasra No.293, Village-Sikandrpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Raj Farms, Khasra No.293, Village-Sikandrpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Raj Farms, Khasra No.293, Village-Sikandrpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,42,172/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



1312
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H15834 / C-1 / सा0-1653 / का0ब0नो0 / 2024

Date: 16/08/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Royal Farmhouse,
Khasra No. 124/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport,
Ghaziabad
Mob. No. 8800555279

यह कि M/s Royal Farmhouse, Khasra No. 124/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294 / 2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Royal Farmhouse, Khasra No. 124/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2163 / सा0पत्रा0-23 / 2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Royal Farmhouse, Khasra No. 124/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Royal Farmhouse, Khasra No. 124/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Royal Farmhouse, Khasra No. 124/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Royal Farmhouse, Khasra No. 124/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Royal Farmhouse, Khasra No. 124/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू 2,42,172/- (दो लाख बयालीस हजार एक सौ बहत्तर मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
०१८

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(विवेक शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
०१८



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H 15819 / सी0-1/सा0-1635/का0बा0नो0/2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Signature Farms,
Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur,
Opp. Hindon Airport,
Ghaziabad.

यह कि M/s Signature Farms. Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Signature Farms. Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2162/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्ट अवधि में रु0 2,42,172/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
o/c

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
o/c

1316



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H/5826 /सी0-1/सा0-1608/का0बा0नो0/2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Gokul Dham,
Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur.
Opp. Hindon Airport, Ghaziabad.

यह कि M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23-01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2167/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812.50 प्रतिदिन की दर से कुल 28 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,18,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।



(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/5831C-1/सा0-1588/का0ब0नो0/2024

Date: 14/08/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Palki Farms,
Khasra No. 317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport,
Ghaziabad.
Mob. No. 9818239945

यह कि M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2166/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

.....2/-


उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये ?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812.50/- प्रतिदिन की दर से कुल 28 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,18,750/- (रू0 दो लाख अठ्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/15840/C-1/सा0-1652 / का0ब0नो0 / 2024

Date: ...18/02/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Party Shine,
Village-Sikandarpur, Hindon Civil,
Ghaziabad.
Mob. No.

यह कि M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad से जनित उत्प्रावह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रावह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2154/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा वर्तमान तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Party Shine, Village-Sikandarpur, Hindon Civil, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,42,172/- (रू0 दो लाख बयालीस हजार एक सौ बहत्तर मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

olc

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

olc



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H/15825/सी0-1/सा0-1651/का0बा0नो0/2024

दिनांक: 16/08/2024
Regd.

M/s Brij Bhoomi,
Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Domestic Airport,
Ghaziabad.

यह कि M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2165/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Brij Bhoomi, Sikandarpur Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 31 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,42,172/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/5827/C-1/सा0-1585/का0ब0न0/2024

Date: 16/12/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Lotus Farms,
Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Domestic Airport,
Ghaziabad.
Mob. No. 9871303880

यह कि M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2177/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके इकाई M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये ?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad के विरुद्ध मा10 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु 7,812.50/- प्रतिदिन की दर से कुल 28 दिन की डिफाल्ट अवधि में रु0 2,18,750/- (रु0 दो लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H 15818 / सी0-1 / सा0-1604 / का0बा0नो0 / 2024

दिनांक: 16/08/2024

Regd.

M/s Mahasja Skiknji & Restaurant,
Delhi Meerut Road, Kadarabad,
Modinagar, Ghaziabad.

यह कि M/s Mahasja Skiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadarabad, Modinagar, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 25.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Mahasja Skiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadarabad, Modinagar, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2173/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा आज तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Mahasja Skiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadarabad, Modinagar, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न आपके उद्योग M/s Mahasja Skiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadarabad, Modinagar, Ghaziabad की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Mahasja Skiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadarabad, Modinagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये?
3. यह कि क्यों न इकाई M/s Mahasja Skiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadarabad, Modinagar, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Mahasja Skiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadarabad, Modinagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812.50 प्रतिदिन की दर से कुल 26 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,03,125/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/15835/C-1/सा0-1597/का0ब0नो0/2024

Date: 16/08/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Spice Gardeen Restaurant & Banquet Hall,
V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar,
Ghaziabad.
Mob. No.-955733066

यह कि M/s Spice Gardeen Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 25.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Spice Gardeen Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2171/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा वर्तमान तक आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Spice Gardeen Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1- यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Spice Gardeen Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?

2- यह कि क्यों न इकाई M/s Spice Gardeen Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Spice Gardeen Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 26 दिन की डिफाल्ट अवधि में रू0 2,03,125/- (रू0 दो लाख तीन हजार एक सौ पचीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

ANNEXURE-5

Sr. No.	Name & Address of Units	Respondant No.	Latest action Taken
1-	Hotel Clarks Inn Apple Tree, C-2, Raj Nagar District Centre, Ghaziabad-201001. E-mail: admin@chobs.in	26	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 4,60,000/-
2-	M/s Royal Enterprises, FF3, Plot No.04, Archana Apartment, Naveen Road Bhopura,, Ghaziabad-201005	87	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 22,34,232/-
3-	M/s Pind Baliuchi (Unit of Excellence Hospitality) Shop No. 303, In panchsheel square at plot no C3, Crossing republic Village Dundahera, Ghaziabad-201016	90	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 1,42,64,712/-
4-	Hotel Platinum, 192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station, G.T. road, Sahibabad, Ghaziabad-201015	91	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs.31,09,176/-
5-	M/s Golden Leaf restaurant Party Hall, Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahibabad, Jhandapur, Ghaziabad Ngar Nigam Zone- 4, Ghaziabad-201005	92	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 8,12,448/-
6-	M/s Hotel Florish Old Name Hotel Royal Mahal, H. No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector- 3, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-3, Ghaziabad-201001	95	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 38,20,068/-

7-	M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok Eat), H-73, Sector-12, Pratap Vihar, Sector-12, Mata Colony, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad-201001	96	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 49,99,680/-
8-	M/s Devyani International Limited, K.F.C. Shop no. GF-16 & FF-4 to 09, GH Plot No. 06, Paramount Spectrum, Paramount Symphony, Crossing Republic NH-24, Ghaziabad-201016	99	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 1,42,64,712/-
9-	M/s Kathi Food Junction & Café, Shop No. 6/158, Sector-2, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201005	100	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 38,66,940/-
10-	M/s Swade Punjab Old Name Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad, Ghaziabad-201005	103	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 27,88,884/-
11-	M/s Ranya Manya Enterprises, Shop UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republik, Dunduhaida, Ghaziabad, Nagar Nigam Zone-08, Ghaziabad-201001	105	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 14,29,596/-
12-	M/s Tanddori Chaska (Old Name Shreshth Gandhi (Food Forest), J-65, Sector-12, Block-j, Pratap Vihar, Ghaziabad-201009	107	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 10,07,748/-
13-	M/s Jubilant Foodworks Ltd (Dominos Pizza) Ground floor, Shop No. 01, Commercial Plot no. NS-01, Sector-12, Pratap Vihar, Ghaziabad-201009	108	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 1,42,64,712/-

14-	M/s Metro Golden Residency B & B, Main G.T. Road, U.P. Border, Ghaziabad-201009	110	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 7,34,328/-
15-	M/s TMF Cafe, Plot No. 3, Sector-5, Rajendra Nagar, Sector-2 & 5, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-2, Ghaziabad-201005	111	UPPCB issued a closure order on 13.08.2024 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 12,10,860/-



1333
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-H-15712/C-1/सा0-1447/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13.09.24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree,
C-2, RDC,
Ghaziabad.

Mobile No. 8191900043

यह कि M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree, C-2, RDC, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-01979/ सी-1/ सा0-1447/का0ब0नो0/2023 दिनांक 18.10.2023 द्वारा रू0 4,60,000 (Rs. Four Lakh Sixty Thousand Only)/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree, C-2, RDC, Ghaziabad के विरुद्ध रू0 4,60,000/- (रू0 चार लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-01979/ सी-1/सा0-1447/का0ब0नो0/2023 दिनांक 18.10.2023 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree, C-2, RDC, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Hotel Clark Inn by Apple Tree, C-2, RDC, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु 5000/- प्रतिदिन की दर से कुल 92 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रु 4,60,000/- (रु0 चार लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/ UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 11.12.2023 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक शाय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- **H/5693** /C-1/सा0-1666/बन्दी निर्देश/2024

Date: **13-8-24**

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Royal Enterprises,
FF3, Plot No. 04, Archana Apartment,
Naveen Road, Bhopura,
Ghaziabad.
Mob. 9953844238

यह कि M/s Royal Enterprises, FF3, Plot No. 04, Archana Apartment, Naveen Road, Bhopura, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07981/सी-1/सा0-1666/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 22,34,232/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 227/सी/आर-508/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Royal Enterprises, FF3, Plot No. 04, Archana Apartment, Naveen Road, Bhopura, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जायें।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Royal Enterprises, FF3, Plot No. 04, Archana Apartment, Naveen Road, Bhopura, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 286 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 22,34,232/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| (i)Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii)Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii)EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

dlc

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

dlc



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 1/5688 / C-1 / सा0-1669 / बन्दी निर्देश / 2024

Date: 13.8.24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Pind Balluchi (Unit of Excellence Hospitality),
Shop No. 303, In panchsheel square at plot no. C3,
Crossing Republic village Dundahera,
Ghaziabad.

Mob. No. 7827141554

यह कि M/s Pind Balluchi (Unit of Excellence Hospitality), Shop No. 303, In panchsheel square at plot no. C3, Crossing Republic village Dundahera, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07984/सी-1/सा0-1669/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 1,42,64,712/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 220/सी/पी-407/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 10.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Pind Balluchi (Unit of Excellence Hospitality), Shop No. 303, In panchsheel square at plot no. C3, Crossing Republic village Dundahera, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720661
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720661
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Pind Balluchi (Unit of Excellence Hospitality), Shop No. 303, In panchsheel square at plot no. C3, Crossing Republic village Dundahera, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 1826 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 1,42,64,712/- की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

(i)Nature of Pollution-	Water Pollution
(ii)Regional Office-	Ghaziabad
(iii)EC Imposed in compliance-	UPPCB

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

1339



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 115687 / C-1 / सा0-1670 / बन्दी निर्देश / 2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Hotel Platinum,
192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station,
G.T. Road, Sahibabad,
Ghaziabad.
Mob No. ~~9315493545~~ 22183

यह कि M/s Hotel Platinum, 192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station, G.T. Road, Sahibabad, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07985/सी-1/सा0-1670/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 31,09,176/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 216/सी/एच-261/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Hotel Platinum, 192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station, G.T. Road, Sahibabad, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Hotel Platinum, 192/1, Prakash, Raj Bagh Metro Station, G.T. Road, Sahibabad, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 398 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 31,09,176/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

(i) Nature of Pollution-	Water Pollution
(ii) Regional Office-	Ghaziabad
(iii) EC Imposed in compliance-	UPPCB

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

de

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

de



1341
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 1341/5694 C-1/सा0-1671/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Golden Leaf Restaurant Pary Hall,
Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahiabad Jhadapur,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 4,
Ghaziabad.

mob.No. 9711854907

यह कि M/s Golden Leaf Restaurant Pary Hall, Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahiabad Jhadapur, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 4, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07986/सी-1/सा0-1671/का0ब0नो0/2024, दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 8,12,448/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 218/सी/जी-436/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Golden Leaf Restaurant Pary Hall, Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahiabad Jhadapur, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 4, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Golden Leaf Restaurant Pary Hall, Deepak Kumar Balaji Hospitality 01, Naveen Park, Sahiabab Jhadapur, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 4, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 104 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 8,12,448/- की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| (i)Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii)Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii)EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)
dc



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-H-15715/C-1/सा0-1674/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s New Name Hotel Florish (Old Name- Hotel Royal Mahal),
H No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector-03,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone-8,
Ghaziabad.
Mob. No. 9871828635

यह कि M/s New Name Hotel Florish (Old Name- Hotel Royal Mahal), H No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector-03, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-8, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07989/सी-1/सा0-1674/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 38,20,068/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 201/सी/एच-262/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को प्रेषित की गयी है। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s New Name Hotel Florish (Old Name- Hotel Royal Mahal), H No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector-03, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-8, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s New Name Hotel Florish (Old Name- Hotel Royal Mahal), H No. 06, Naveen Park, Rajendra Nagar, Sector-03, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-8, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 489 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 38,20,068/- (रुपये अड़तीस लाख बीस हजार अड़सठ मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/ UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 31.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 415689/C-1/सा0-1675/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok eat),
H-73, Sector-12, PratapVihar, Sector-12, Mata Colony,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6
Ghaziabad

यह कि M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok eat), H-73, Sector-12, PratapVihar, Sector-12, Mata Colony, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07990/सी-1/सा0-1675/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 49,99,680/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 204/सी/ए-840/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 10.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok eat), H-73, Sector-12, PratapVihar, Sector-12, Mata Colony, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Ashish Kumar Yadav (Horn Ok eat), H-73, Sector-12, PratapVihar, Sector-12, Mata Colony, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 640 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 49,99,680/- की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

(i)Nature of Pollution-	Water Pollution
(ii)Regional Office-	Ghaziabad
(iii)EC Imposed in compliance-	UPPCB

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 1/5686/C-1/सा0-1678/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13.8.24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Devyani International Limited,
K.F.C Shop No. GF-16 & FF-4 to 0, GH Plot No. 06,
Paramount Spectrum, Paramount Sysphony, Crossing Republic, NH-24,
Ghaziabad.

Mo. No. 9315157061

यह कि M/s Devyani International Limited, K.F.C Shop No. GF-16 & FF-4 to 0, GH Plot No. 06, Paramount Spectrum, Paramount Sysphony, Crossing Republic, NH-24, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07993/सी-1/सा0-1678/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 1,42,64,712/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 211/सी/डी-291/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 10.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Devyani International Limited, K.F.C Shop No. GF-16 & FF-4 to 0, GH Plot No. 06, Paramount Spectrum, Paramount Sysphony, Crossing Republic, NH-24, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Devyani International Limited, K.F.C Shop No. GF-16 & FF-4 to 0, GH Plot No. 06, Paramount Spectrum, Paramount Sysphony, Crossing Republic, NH-24, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 1826 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 1,42,64,712/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

(i)Nature of Pollution-	Water Pollution
(ii)Regional Office-	Ghaziabad
(iii)EC Imposed in compliance-	UPPCB

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)
a/c

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)
a/c



1349
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H/5691 /C-1/सा0-1679/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Kathi Food Junction and Cafe,
Shop No.6/158, Sector-2, Rajendra Nagar,
Ghaziabad.
Mob.No.8285999681

यह कि M/s Kathi Food Junction and Cafe, Shop No.6/158, Sector-2, Rajendra Nagar, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07994/सी-1/सा0-1679/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 38,66,940/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 209/सी/के-409/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा भी इकाई प्रतिनिधि को प्रेषित की गयी है। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Kathi Food Junction and Cafe, Shop No.6/158, Sector-2, Rajendra Nagar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

उक्त के साथ इकाई M/s Kathi Food Junction and Cafe, Shop No.6/158, Sector-2, Rajendra Nagar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 495 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 38,66,940/- की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

o/c

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-15713/C-1/सा0-1682/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Swade Punjab (Old Name: Happy Punjab),
Plot No.07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahibabad,
Ghaziabad.
Mob. No. 9810788510

यह कि M/s Swade Punjab (Old Name:-Happy Punjab) Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07997/ सी-1/ सा0-1682/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 27,88,884/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 217/सी/एच-260 /2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को प्रेषित की गयी है। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Swade Punjab (Old Name:- Happy Punjab) Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Swade Punjab (Old Name:- Happy Punjab) Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 357 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 27,88,884/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/ UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| (i)Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii)Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii)EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 12.08.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-15714/C-1/सा0-1684/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13.8.24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Ranya Manya Enterprises,
Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8,
Ghaziabad.
Mob. No. 8851673214

यह कि M/s Ranya Manya Enterprises, Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई/रेस्टोरेन्ट के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07999/सी-1/सा0-1684/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 14,29,596/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.07.2024 को किया गया तथा संदर्भित रेस्टोरेन्ट M/s Ranya Manya Enterprises, Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8, Ghaziabad का पूर्व में निरीक्षण दिनांक- 31.01.2024 को किया गया था। वर्तमान निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेन्ट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पाया गया तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 219/सी/आर-507/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा भी रेस्टोरेन्ट को प्रेषित की गयी जिसकी छायाप्रति निरीक्षण दिनांक 25.07.2024 को इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Ranya Manya Enterprises, Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Ranya Manya Enterprises, Shop No. UGF 40, 41, Ajnara Gen X Crossing Republic, Dunduhaida, Ghaziabad Nagar Nigam Zone- 8, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 183 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रु 14,29,596/- /- की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| (i)Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii)Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii)EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 31.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No: H/5685/C-1/सा0-1686/बन्दी निर्देश/2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Tandoori Chaska (Old Name: Shreshth Gandhi (Food Forest)),
J-65, Sector-12, Block- J, Pratap Vihar,
Ghaziabad.

Mob. No. 9178912065

यह कि M/s Tandoori Chaska (Old Name: Shreshth Gandhi (Food Forest)), J-65, Sector-12, Block- J, Pratap Vihar, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-08001/सी-1/सा0-1686/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रुपये 10,07,748/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 205/सी/एस-1456/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को प्रेषित की गयी है। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है—

यह कि इकाई M/s Tandoori Chaska (Old Name: Shreshth Gandhi (Food Forest)), J-65, Sector-12, Block- J, Pratap Vihar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Tandoori Chaska (Old Name: Shreshth Gandhi (Food Forest)), J-65, Sector-12, Block- J, Pratap Vihar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 129 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 10,07,748/- की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| (i)Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii)Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii)EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

etc

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

etc



1357
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 11/5692 / C-1 / सा0-1687 / बन्दी निर्देश / 2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Jubliant Foodwork Ltd (Dominos Pizza),
Ground Floor, Shop No. 01, Commercial Plot No. NS-01,
Sector-12, Pratap Vihar,
Ghaziabad
Mob. No. - 8860395724

यह कि M/s Jubliant Foodwork Ltd (Dominos Pizza), Ground Floor, Shop No. 01, Commercial Plot No. NS-01, Sector-12, Pratap Vihar, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-08002/सी-1/सा0-1687/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 1,42,64,712/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 206/सी/जे-326/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा भी इकाई प्रतिनिधि को प्रेषित की गयी है। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Jubliant Foodwork Ltd (Dominos Pizza), Ground Floor, Shop No. 01, Commercial Plot No. NS-01, Sector-12, Pratap Vihar, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

उक्त के साथ इकाई M/s Jubliant Foodwork Ltd (Dominos Pizza), Ground Floor, Shop No. 01, Commercial Plot No. NS-01, Sector-12, Pratap Vihar, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 1826 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रु 1,42,64,712/- की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway ds Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

(i)Nature of Pollution-	Water Pollution
(ii)Regional Office-	Ghaziabad
(iii)EC Imposed in compliance-	UPPCB

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)
etc

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

etc



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No: 4/5690/C-1/सा0-1689/निर्देश/2024

Date: 13-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Metro golden residency B & B,
G.T. Road, U.P. Border,
Ghaziabad.
Mob. No. 9711810155

यह कि M/s Metro golden residency B & B, G.T. Road, U.P. Border, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-08004/सी-1/सा0-1689/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 7,34,328/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 215/सी/एम-558/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s Metro golden residency B & B, G.T. Road, U.P. Border, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s Metro golden residency B & B, G.T. Road, U.P. Border, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 94 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 7,34,328/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)
de

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

de



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- **H/5695** /C-1/सा0-1691/निर्देश/2024

Date: **13-8-24**

सेवा में,

पंजीकृत

M/s TMF Cafe,
Plot No.03, Sector-5,Rajendra Nagar,Sector 2&5,
Ghaziabad Nagar Nigam Zone-02,
Ghaziabad.
Mo. No. 8920031147

यह कि M/s TMF Cafe, Plot No. 03, Sector-5, Rajendra Nagar, Sector 2 & 5, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-02, Ghaziabad जो कि कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-08006/सी-1/सा0-1691/का0ब0नो0/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू0 12,10,860/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के अनुपालन में इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/एस0टी0पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 223/आई-188/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई प्रतिनिधि को दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त करायी गयी। उक्त इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 का जवाब बोर्ड को अप्राप्त है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

यह कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है-

यह कि इकाई M/s TMF Cafe, Plot No. 03, Sector-5, Rajendra Nagar, Sector 2 & 5, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-02, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये।

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

उक्त के साथ इकाई M/s TMF Cafe, Plot No. 03, Sector-5, Rajendra Nagar, Sector 2 & 5, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-02, Ghaziabad के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रू 7812/- प्रतिदिन की दर से कुल 155 दिन की डिफाल्ट अवधि हेतु रू 12,10,860/- की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के paymentgateway(URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| (i) Nature of Pollution- | Water Pollution |
| (ii) Regional Office- | Ghaziabad |
| (iii) EC Imposed in compliance- | UPPCB |

संलग्नक-क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

(विक्रम राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

d/c

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबन्धक, जलकल नगर निगम गाजियाबाद को जल संयोजन विच्छेदन हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन विच्छेदन हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इकाई को जारी उक्त निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

d/c

कार्यालय

जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

पत्रांक 11.07/एसओटीओ-डीओएम/2024/08-294/2023

दिनांक 14-08-2024

आदेश

माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओओएम संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है-

1. उपजिलाधिकारी, सदर/लोनी/मोदीनगर, गाजियाबाद।
2. सहायक पुलिस आयुक्त, सम्बन्धित पुलिस विभाग, गाजियाबाद(सम्बन्धित क्षेत्र)।
3. सहायक पर्यावरण अभियंता, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद(सम्बन्धित क्षेत्र)।
4. अधिराशी अभियंता, सम्बन्धित विद्युत वितरण बण्ड, गाजियाबाद(सम्बन्धित क्षेत्र)।

सम्बन्धित प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि 23.08.2024 नियत है। उपरोक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण, गाजियाबाद बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(सुन्द विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस आयुक्त, पुलिस विभाग, गाजियाबाद।
2. उपजिलाधिकारी, सदर/लोनी/मोदीनगर, गाजियाबाद।
3. मुख्य अभियंता, परिभाषित विद्युत वितरण निगम लिओ गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उपरोक्त इकाईयों की सूची प्राप्त करते हुए उनका तत्काल विद्युत दिच्छेदन कारना सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि इकाईयों की सूचना संकलित कर ससमय माओ एनओटीओ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक ...17-08-2024 को मैसर्स जुबलियन फूड वर्क्स लि. (डेभिनेस पिप्ला) गाउड फ्लोर का निरीक्षण किया गया।

मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री सुमन (शिफ्ट मैनेजर) 8929088575 की उपस्थिति में इकाई में विद्युत बिन्दु कर एवं स्थापित 62.5 KVA क्षमता के 01 डी.टी.सेट को सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना बिजयनगर को सौंपी गयी। बन्दी आदेश दिनांक 13-08-2024 की एक प्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त कराई गयी।

Suman
8929088575
(Suman)
शिफ्ट मैनेजर

Suman
8929088575

Suman
शिफ्ट मैनेजर

17/8/2024

Paulish
(AEE)
UPPCB
G2B

DG सील कर दिनांक 17/08/24

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17/08/2024 को मैसर्स डोप्ल इलार्क इन
कई स्पल डी, डी-2, RDC, गाजियाबाद का स्थलीय जल निरीक्षण किया गया।
 मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री दीपक (नेकीनेद्व मैनेज्मेंट) की उपस्थिति में इकाई में पाया गया
~~को सील करते हुये इकाई~~
~~का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना~~
~~को सौंपी गयी।~~

कि उक्त इकाई वर्तमान में पूर्ण रूप से बन्द है। इकाई प्रतिनिधि को बन्दी आदेश दिनांक 13-08-2024 के प्रति जागरूक कराई गयी।

दीपक कुमार
 17/08/24
 9979993075

(Jyotsna Kumar)
PS Kawthar
M-9911024428
(AGS)
UPPCB, GZB
 17/8/2024

दीपक
(AGS)
UPPCB, GZB
 17/08/24

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17-08-2024 को मैसर्स देवयानि इन्टरनेशनल लिमिटेड (KFE) GF-16&FF-4 to 0, GH-06, Panoramant spectrum, Gaurang republic, GZB का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री शादाव मंत्री पर की उपस्थिति में इकाई में बिंदु संयोजन को विन्देष्टि करते को सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना कादिगा रिपब्लिक को सौंपी गयी। बन्दी आदेश दिनांक 13-8-24 की प्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त कराई गयी

Anshul
(AEB)
UPPER GEB

19/08/24

19/08/24

17/08/24

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17/08/24 को मैसर्स रान्या ज्ञान्या इंटरप्र्राइज UGF-40/41, अप्लारा स्लैब्स, क्राफ्ट रिप्लिक, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री विद्युत संवीर विन्सेपा की उपस्थिति में इकाई में को सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना कसिंग रिपब्लिक को सौंपी गयी। बन्दी आदेश की प्राप्ति इकाई के मुख्य द्वार पर चस्पा की गयी

Syad L
U.P.P.C.L

Arshul
17/08/24
AEB,
UPPUGGB,

17/08/24

17/08/24

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 17-08-2024 को मैसर्स पिंड बल्लू (इन्फिंटिफिकेशन एंड एंजिनिअरिंग हास्पिटैलिटी) 303, पंचशील स्क्वैयर, C-3, गाजियाबाद, का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री कल्पदीप शर्मा की उपस्थिति में इकाई का विद्युत बिच्छेद करके सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना कादिंगरी प्रार्थित, को सौंपी गयी। बन्दी आदेश की प्रति इकाई प्रतिनिधि को प्राप्त कराई गयी।

Marginal
AM
17/8/24

Anshul
जिलाधिकारी
AEE, U.P.C.E.
GZB

Quatier
U.P.P.C.L

17/08/24

162
com
17/08/24

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक ...17-08-2024... को मैसर्स आशीष कुमार यादव (डॉन ओके ईट), 11-73, सेक्टर-12, प्रतापविहार, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री विपिन की उपस्थिति में इकाई में का विघ्न विच्छेदन करते हुए को सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना विजयनगर को सौंपी गयी। बन्दे आदेश दिनांक 13-8-24 के प्रति इकाई के मुख्य द्वार पर पर-वस्था की गई है।

Sgani
17/08/24
9897596331
A

Anshul 17/8/24
(AEE)
UPPCB, Ghazipur

17/08/24

17/8
14-II
9193301595

17/8/24
(AEE)

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक ...20-08-2024 को मैसर्स ...T.M.P. Cafe, प्लॉट नं० 3, सेक्टर-5, रातेन्द्रनगर, सेक्टर-5, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री ...सतिश चौहान, मैनेजर की उपस्थिति में इकाई में ...विद्युत संयोजन को विन्डोइर को सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना ...साहिबबाबाद को सौंपी गयी।




शिक्षालय पर्यवेक्षक

(GE)

E.U.D.D.-I V G2B



AEE, UPRCB
G2B



AEE, UPRCB
G2B



7/10
20/8/24

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20-08-2024 को मैसर्स स्वाय-ए-पंजाब प्लाट नं-7, सेक्टर-5, रातौन नगर, शाहिबाबाद, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री श्रीधर की उपस्थिति में इकाई में विद्युत संयोजक की विच्छेदन करे सिल करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सिल सुपर्दगी सम्बन्धित थाना शाहिबाबाद को सौपी गयी।

4/8/24
निशाब पटेल
(JE)
EUDD-IV G2B

Anshul
20/8/24
AEE, UPPCB,
Ghaziabad

Dr. Anshul
20/8/2024
(AEE),
UPPCB,
G2B

Anshul
P.S. शाहिबाबाद

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20-08-2024 को मैसर्स रायल इन्टरनैशनल

FF-3, प्लॉट नं-4, अर्चना अपार्टमेंट, नवीन रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।

मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री बिजय शर्मा शर्मा की उपस्थिति में इकाई में 02 DG

(कमरा 62.5 KVA व 125 KVA) को सील कर एवं विपुल संयोजन को विद्युत को सील करते हुये इकाई

का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना साहिबगंज

.....को सौपी गयी।

विजय
20/8/24
सर्विस इन्चार्ज

Anshul
20/8/24
AES, UPCLB
G2B

पुनर्वि
20/8/24
AES, UPCLB
G2B

Om
JED
rehanagar

Arvind

Om
20/8/24

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20-08-2024 को मैसर्स गोल्डन लीफ रेस्तेरेंट पार्टी हाल, दीपक कुमार बालानी हॉस्पिटैलिटी, नवीनपार्क, राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री.....की उपस्थिति में इकाई में विद्युत संयोजन की बिन्दु को सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना साहिबाबाद को सौंपी गयी।

Sudhin
20/8/2024
8243979507

Anshul
20/8/2024
AED. UPPCB G2B

Anshul
20/8/2024
(AEE) UPPCB
G2B

1/16
20/8/2024

Arvind

①

TELO
moharanga

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक ...20-08-2024... को मैसर्स हॉटल फ्लोरिडा
(पुराना नाम - हॉटल रॉयल महल) 11/10-6, नबीनगर, रामपुरगढ़, सी-3, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री.....की उपस्थिति में इकाई में
विद्युत संयोजन को विन्डो ~~के~~ सील करते हुये इकाई
का संचालन बन्द कराया गया तथा ~~सील~~ सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना साहिबवादा
.....को सौंपी गयी।

8524055570
(manager)

20/8/24
AEE, UPPCB
G2B

20/8/24
(AEE), UPPCB,
G2B.

20/8/24
JE(O)
Mohan Naga

20/8/24

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक १०-०८-२०२४ को मैसर्स काशी फूड प्रोसेसिंग
इंड कं. ६/१६८, सेक्टर-२, रजिस्ट्रार, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
 मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री आशीष कुमार, मैनेजर की उपस्थिति में इकाई में
विद्युत संयोजन को विच्छेदित करके सील करते हुये इकाई
 का संचालन बन्द कराया गया तथा ~~सील~~ सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना X
 को सौपी गयी।

Acharya
 20/08/2024
 784 0045505

Anshul
 20/08/24
 AEP, UPPER
 GER
Nishu
 20/08/2024

Vijay
 20
 विशालपटेल
 (AEP)
 EMD/24

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20-08-24 को मैसर्स श्री गोल्डन रेजिडेंसी
B&B, G.T. रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
 मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री प्रेमनाथ सिंघला, प्रोपराईटर की उपस्थिति में इकाई में
विद्युत संयोजन को विच्छेदित करके सील करते हुये इकाई
 का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना साहिबाबाद
 को सौंपी गयी।

Arvind
 20/8/24
 ABB, UPPCL
 GZR

Arvind
जिलाधिकारी

खलस फ्लोर
999-525468
19/08/24
गिडप-11

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक को मैसर्स हॉल प्लैटिना,
192/1, राजका प्रेसी स्टेशन, G.T. रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
 मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री अनमोल मैनेजर की उपस्थिति में इकाई में
विद्युत संयोजन को विच्छेदित करे-सील करते हुये इकाई
 का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना साहिबाबाद
को सौपी गयी।


20/8/24

9826345718

Ammal

सलाम रीवा
9990595468
लखनऊ
15/8/24 IV


20/8/24
AEE, UPPER
G2B


Amind

R.128

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक ...20-08-2024... को मैसर्स तन्दूरी चस्क J-15, सेक्टर-12, जे ब्लॉक, प्रताप विहार, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री.....की उपस्थिति में इकाई में विद्युत संयोजन की विच्छेदित को सील करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना विजयनगरको सौंपी गयी।

Anshul
20/8/2024
AEE, UPRB GZB

MW

B/(H)
नरेश कुमार
20/8/24

Ravi
Boni
20/8/2024
SSO
Div-5

ANNEXURE-8

Sr. No.	Name of Hotels	Address	Capacity	Status of CTO
1.	NAZEER HOSPITALITY PVT LTD	Plot No. 511, Chauhan Complex, Sector-12, Vasundhara Ghaziabad	Veg/Non-Veg Cooked, Semi Cooked, Marinated items - 60 MT/Month	Issued on 29.04.2024, Valid upto 31.03.2027
2.	TROT HOTELS	SB-26, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD.	Hotel (Room capacity- 31 nos)	Issued on 06.04.2024 Valid upto 31.03.2029
3.	M/s VELVET LEAF	KHASRA NO 556, NOOR NAGAR, RAJ NAGAR EXTN, Ghaziabad.	Banquet Hall-total plot area 4403.53sqm	Issued on 27.03.2024 Valid upto 31.07.2026
4.	SADIT INFOTECH PVT LTD	KHATA NO. OLD 00771 NEW 1408 KHASRA NO.- 536 AT VILLAGE - NOOR NAGAR, PARGANA- LONI, DISTT.-GHAZIABAD.	Commercial/function Hall & Hotel-13571.58 SQM	Issued on 27.03.2024 Valid upto 31.07.2028
5.	KAYTEEGEE RESTAURANTS AND SWEETS PRIVATE LIMITED	H.N. 2, BLOCK B, SECTOR 2, KHORA GHON, KHORA, GHAZIABAD.	RESTAURANTS AND SWEETS -20 Seat	Issued on 22.03.2024 Valid upto 31.07.2024
6.	NAZEER HOSPITALITY PVT LTD	S-52 Site -4, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad.	Veg/Non-Veg Cooked, Semi Cooked, Marinated - 60 MT/Month	Issued on 14.03.2024 Valid upto 31.07.2025
7.	KNK FOOD AND BEVERAGES	H No S C 125, Shastri Nagar, Ghaziabad 201001	Food and Beverages	Issued on 13.03.2024 Valid upto 31.03.2026
8.	VYANZAN PLAZA	PLOT NO-9, KHASRA NO-549 RAJDHANI ENCLAVE VILLAGE PAVI SADAKPUR LONI GHAZIABAD.	SWEETS, NORTHINDIAN & CHINESE FOOD- 40 Seating	Issued on 13.03.2024 Valid upto 31.03.2028
9.	PRINCIPE RESTAURANT	UB-02, REAL SQUARE, PLOT NO 19, SECTOR-3, VASUNDHARA, GHAZIABAD.	Restaurant (Food and Beverages Item) – 40 Seats	Issued on 15.03.2024 Valid upto 31.03.2026
10.	Ms Orana Hotel and Convention unit of Gupta jee tent Services Pvt Ltd	Gaur Ganga-2, Phase-1, Sector -4, Vaishali, Tehsil-Ghaziabad, District-Ghaziabad.	Restaurant-60seat, Room-50, Banquet Hall-04	Issued on 06.03.2024 Valid upto 31.07.2028
11.	THE MARSHAL	354, Razapur Road, Pandav Nagar, Ghaziabad.	BANQUET HALL	Issued on 06.03.2024 Valid upto 31.03.2029
12.	AWADHFOODS	Under Kaushambi Metro Station, GHAZIABAD, 201010	Bakery Foods & Fast Food	Issued on 26.02.2024 Valid upto 31.03.2026
13.	GOOSEBUMPS	C-69 RDC RAJ NAGAR GHAZIABAD.	Restaurant-90 Chair	Issued on 14.02.2024 Valid upto 31.03.2029

14.	VEDANTAM COMPLEX	Khasra No-917M, Noor Nagar, Raj Nagar Extension, Main Road, GHAZIABAD,	HOTEL -13 ROOMS, BANQUET HALL & Restaurant shops	Issued on 08.02.2024 Valid upto 31.07.2026
15.	PRESENT FOOD AND BEVERAGES PVT LTD	AG- 9, 7, 8, 42, 43, 44, 45, and AF-42, AF-4, AF- 5A, AF-5B, Aditya City Center, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad.	Food and Beverages/Restaurant 50 Seating	Issued on 06.02.2024 Valid upto 31.07.2028
16.	NEW RAJA VAISHNO BHOJNALAYA	PLOT NO. 1, G.T, ROAD, MOHAN NAGAR, GHAZIABAD.	RESTAURANT-120 SEATING	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.07.2029
17.	PRIMESERVE HOSPILALITY PVT LTD	NAMASTE PUNJAB, SHOP NO-13, 14, GROUND FLOOR, WINDSOR PARK, PLOT NO-5, VAIBHAV KHAND, INDIRAPURAM, GHAZIABAD.	RESTAURANT-25 SEATING	Issued on 14.05.2024 Valid upto 31.03.2029